

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2021; 3(2): 102-104
Received: 02-05-2021
Accepted: 16-06-2021

डॉ. दिनेश कुमार
वरिष्ठ अध्यापक, रा. उ. मा. वि.,
खिलौरा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान,
भारत

भारतीय लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका

डॉ. दिनेश कुमार

सार

नागरिक समाज गाँधीवादी परंपरा के स्वयंसेवकों से अपनी ताकत प्राप्त करता है। स्वतंत्र भारत में स्वैच्छिक संगठनों ने उपेक्षित विकास प्रक्रिया को जारी रखने का कार्य किया। गैर सरकारी संगठन सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों के संदर्भ में जनता की आवाज को उठाने का कार्य करते हैं। ये संगठन जनता और सरकार के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहे हैं। सरकार के गैर जिम्मेदार व्यवहार से सामना करने के लिए न्यायपालिका गैर सरकारी संगठनों के साथ खड़ी रहती है। सूचना के कानूनी अधिकार द्वारा गैर सरकारी संगठन सरकार को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक पसंद के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है।

कुटुम्बशब्द: नागरिक समाज, राजनीतिक संस्कृति, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र

प्रस्तावना

नागरिक समाज नागरिक अधिकारों का समुच्चय है, जिसमें प्रारम्भिक रूप से सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने वाले प्रत्येक के अधिकार भी शामिल हैं। ये अधिकार हमें दिशा सूचक प्रदान करते हैं जिनकी सहायता से हम राज्य की व्यवस्था के मध्य सही मार्ग देख सकते हैं। इसके अभाव में कई बार संगठित उत्पादक समूह और संस्थाएँ आजादी के लिए खतरनाक भी हो सकती थीं। नागरिक समाज को परिपक्व लोकतंत्र और परिपक्व राजनीतिक संस्कृति की बुनियाद रखनी चाहिए। यह तभी बन सकता है जब समाज का भाग दृढ़ रूप में अपने सम्मान की माँग करता है और यदि व्यक्तिक अधिकारों का जिम्मेदारों अथवा संस्थाओं द्वारा उल्लंघन होता है तो वह उनका निरीक्षण भी करे।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। परन्तु इसके सजीव छल्ले के बिना, समाज में बहुत सारी बुराइयाँ देखने को मिलती हैं। नागरिक समाज को अपनी ताकत गाँधीवादी परम्परा के स्वयंसेवकों से प्राप्त होती है। परन्तु अब सक्रियता के विभिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। 1947 से ही लोगों के मस्तिष्क में स्वयंसेवी क्षेत्र के प्रति सम्मान रहा है—पहला, क्योंकि गाँधीजी इसके एक सक्रिय कार्यकर्ता थे व दूसरा, क्योंकि भारत में उन लोगों को सदैव सम्मान से देखा जाता था जो परहित के लिए अपना बलिदान देते हैं।

स्वतंत्र भारत में, प्रारम्भिक भूमिका गाँधी द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संगठनों ने प्रारम्भ की तथा उनके अनुयायियों ने सरकार द्वारा उपेक्षित विकास प्रक्रिया को जारी रखने का काम किया। इन संगठनों में हथकरघा उद्योग हेतु गाँवों में सहकारी संस्थाएँ बनाई जहाँ वे शहरों में सीधे माल बेच कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार डेयरी उत्पादों व मछली उत्पादों हेतु भी सहकारी संस्थाएँ स्थापित की गईं। स्वयंसेवकों ने इसके साथ ही विकास के दूसरे क्षेत्रों में भी सहायता की जैसे—रात्रि कालीन प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन करना।

1980 में, ये संगठन जो NGOs के नाम से जाने जाने लगे, अब विशेष होने लगे तथा तीन खंडों में विभाजित हुए।

1. पारम्परिक NGO, जो गाँवों में थे तथा साक्षरता कार्यक्रम चला रहे थे। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पिछले पाँच दशकों से इन NGOs ने सफलतापूर्वक कार्य किया है जैसे बाबा आम्टे द्वारा संचालित कुष्ठ मरीजों हेतु संस्था।
2. दूसरे वे संगठन जो एक विशेष विषय पर गहराई से अनुसंधान कर रहे थे तथा सरकार व उद्योगों के साथ मिलकर बेहतर जीवन हेतु प्रयास कर रहे थे या फिर कोर्ट में रिट दायर कर रहे थे। इसका एक उदाहरण 'विज्ञान व पर्यावरण केन्द्र' हेतु NGO है।

इसने कुँओं के जल का परीक्षण कर इसे पीने के अयोग्य ठहराया तथा कोर्ट में सबूत पेश किए क्योंकि फैक्ट्रियों ने रसायनों पर रोक नहीं लगाई जो भूजल में जा रहे थे। तीसरे समूह में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक सक्रिय कार्यकर्ता थे। वस्तुतः सभी NGOs ने अपने-अपने क्षेत्र में सक्रियता के आधार पर अपनी उपस्थिति स्पष्ट की। उन्होंने नौकरशाह के विरुद्ध रिट दायर कीं,

Corresponding Author:

डॉ. दिनेश कुमार
वरिष्ठ अध्यापक, रा. उ. मा. वि.,
खिलौरा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान,
भारत

यदि मीडिया गलत था तो उसे भी आगाह किया। परन्तु तीसरे प्रकार के NGO ने सक्रियता का अपने प्रारम्भिक रसायन के रूप में देखा जिसके द्वारा वे अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि उनका विश्वास था कि सत्ता उनकी बात नहीं सुनेगी। उदाहरण—नर्मदा बचाओ आंदोलन। जिसने मध्य भारत में बड़ी-बड़ी नदियों पर वृहद् बाँधों का विरोध किया। उनका विश्वास था कि बड़े-बड़े बाँध लोगों की समस्याओं को हल करने की बजाए पानी की कमी की समस्या को उत्पन्न करेंगे। साथ ही लोगों के विस्थापन का भी विरोध किया। परिणामतः इसके सदस्य अनेकों बार जेल गए। हाल ही में, जब कोर्ट का फैसला उनके उलट आया तो कोर्ट की आलोचना करने के कारण लेखिका अरुंधति राँय समेत अनेक कार्यकर्ता जेल भेजे गए।

इन तीन प्रकार के NGOs के मध्य कोई स्पष्ट सीमा नहीं है—वस्तुतः बाबा आम्टे अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। चाहे किसी भी वर्ग के छल्ले हों, आधुनिक भारत में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है— वे राजनेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं।

भारत में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है। एक बार चुनाव हो जाने के बाद, नेता प्रत्येक महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अपने मतदाताओं के पास नहीं जाते—चाहे वे केन्द्र सरकार से हो या राज्य सरकारों में स्विटजरलैंड या डेनमार्क की तरह यहाँ जनमत नहीं है इसलिए दो चुनावों के मध्य, पाँच साल के समय में केवल NGOs व मीडिया का कुछ भाग ही है जो सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के संदर्भ में जनता की राय व उनकी आवाज को उठाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में विकास प्रक्रिया के अनेक क्षेत्र उपेक्षित हैं जहाँ सरकार की पहुँच नहीं है। या तो धन नहीं है, या जानबूझकर या जागरूकता की कमी के कारण आधुनिक भारत में इस खाई को पाटने का कार्य NGOs कर रहे हैं। ये उन क्षेत्रों में भी काम करते हैं जहाँ सरकारें नहीं जाना चाहती जैसे—जाति के आधार पर भेदभाव पर लड़ाई। ज्यादातर राजनेता अपने-अपने क्षेत्रों में चली आ रही जातिगत परम्परा को छेड़ना नहीं चाहते क्योंकि वे चुनाव जीतने के लिए उन्हीं प्रभावी जातियों के वोट पर निर्भर होते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण कानून द्वारा समानता दिए जाने के बावजूद जातिगत भेदभाव होता है जब तक कि NGOs इस दिशा में कार्य ना करें। इसके अलावा NGOs वहाँ भी कार्य करते हैं जहाँ सरकारी प्रयास अपर्याप्त होते हैं। इसके दो बेहतर उदाहरण शिक्षा एवम् स्वास्थ्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूल अपर्याप्त हैं विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैं वहाँ भी पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त धन की कमी है। सरकारी सहशिक्षा विद्यालयों में रुढ़िवादी परिवारों के कारण बालिकाएँ स्कूल नहीं जाती हैं। बहुत से विद्यालयों में शून्य नामांकन है क्योंकि बच्चे बाहर काम करने जाते हैं। इन सभी मामलों में NGOs महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे उन बच्चों के लिए रात्रिकालीन कक्षाओं का आयोजन करते हैं जहाँ दिन में बच्चे काम पर जाते हैं। छात्राओं हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन करते हैं। सरकारें भी ऐसे NGOs को सहयोग प्रदान करती हैं। समस्या केवल यह है कि भारत में अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने हेतु पर्याप्त NGOs नहीं हैं। केरल सास्त्र साहित्य परिषद् जैसे वृहद् NGO को केरल में शत प्रतिशत साक्षरता का श्रेय दिया जा सकता है। सर्वशिक्षा अभियान—इसका उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है ताकि “प्रत्येक, प्रत्येक को पढ़ाये” पूरे भारत में प्रचारित हो सके। नन्ही कली—मुम्बई स्थित यह संस्थान पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा के साथ अन्य सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी NGOs के आधुनिक भारत में शानदार भूमिका निभाई है—सरकार के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सहयोग प्रदान करके तथा समाज में बाल कुपोषण व मातृ कुपोषण जैसे विषयों पर चेतना विकसित करके/इतना ही नहीं

बालिका भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों पर भी NGOs ने एक लम्बी लड़ाई लड़ी है जहाँ वह बालिका के जन्म को भी समान रूप से देखने की हिमायत करते हैं। इसके लिए NGOs ने मीडिया के साथ मिलकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून पास करवाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो प्रकार के NGO कार्यरत है। पहला, जो स्वास्थ्य के प्रतिरोधात्मक पक्ष से प्रेरित है जैसे निशुल्क टीके और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों की व्यवस्था करना, रक्तदान एवम् मधुमेह आदि से सम्बन्धित शिविरों का आयोजन किया जाता है। दूसरा, निदानात्मक क्षेत्र—टी.बी., कैंसर, एड्स जैसी भयंकर बीमारियों एवम् अन्य महामारियों के लिए कार्यरत है। यह महानगरों में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जहाँ छोटी जगहों के नागरिक भी सुविधा प्राप्त करते हैं।

पिछले 20 सालों में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक NGOs सक्रिय हुए हैं। उन्होंने जंगलों की पुनर्स्थापना हेतु आंदोलन, जंगलों के विनाश को रोकना, कृषि में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग रोकना, प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाना जैसे अनेक कार्य किए हैं। जब सरकारें गैर जिम्मेदार व्यवहार करती हैं तो न्यायपालिका इन छल्ले के साथ खड़ी रहती है। इसलिए NGOs को आम हित के लिए मुकदमेबाजी के एक उपकरण के रूप में जाना जाने लगा है। जहाँ लोगों को लगता है कि कोई आम हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो वे न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक और क्षेत्र, जहाँ NGOs सक्रिय हैं वह है शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ निर्माण कार्य व सक्रियता दोनों मिल जाते हैं क्योंकि YUVA व SPARC जैसे NGOs मुम्बई जैसे शहरों में निरन्तर झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ने का विरोध करती रही हैं साथ ही इन बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। निर्धनता निदान क्षेत्र में कई NGOs कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए (Give India) नामक संस्था गरीबतम नागरिक के हित में कई कार्यक्रम करती है, उनके लिए धन एकत्रित करके कई योजनाएँ कार्यान्वित करती हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मकान, रोजगार, स्वच्छ पर्यावरण आदि। इस प्रकार के NGO का यह प्रयास रहता है कि निर्वहन अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ पूर्ण की जा सके। ‘अनजानी फाउंडेशन’ भी इसी उद्देश्य को लेकर कार्यरत है।

भारत में NGOs सरकारों को और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इस हेतु वे सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं। 80 के बाद का समय सक्रिय पत्रकारिता का उच्च समय रहा है। मीडिया के साथ मिलकर NGOs ने अन्याय तथा नियमों के उल्लंघन को जनताके सामने लेकर आए हैं। मानव अधिकार संगठनों तथा NGOs ने मिलकर पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल व दूसरे मुद्दों के असंख्य मामले उठाए हैं। NGOs का एक नया वर्ग उच्च वर्ग भी है जो विलासिता पूर्ण जीवन स्तर को जीता है।

लोकतंत्र एक स्वयं पोषित चाह है तथा एक संस्थागत व्यवस्था है जहाँ राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक सत्ता में समान भागीदारी होती है। ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएँ हैं। ताकि लोकतंत्र में कोई बहला-फुसला ना सके जहाँ पेशेवर राजनीतिज्ञ उन्हें भटका ना सकें, इस हेतु राजनीतिक चेतना का होना अवश्यम्भावी है।

सरकार की अलोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की राजनीतिक पंसद को सीमित व बाध्य कर देती है। तानाशाही में एक व्यक्ति का निर्णय पूरे देश को प्रभावित करता है जहाँ नागरिकों को कुछ भी कहने का हक नहीं होता।

सैन्य शासन में, सेना देश पर शासन करती है तथा जनता को उसे सहन करना ही होता है फांसीवाद में भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जहाँ वह वफादारी और आज्ञाकारिता प्राप्त करके सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। लोकतंत्र

सरकार का वह प्रकार है जो लोगों के समर्थन व सक्रियता के बिना नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए कि इसकी मुख्य विशेषता पंसद है—नागरिकों के सक्रिय राजनीतिक पंसद के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं है।

वास्तव में, अन्ना हजारे (आधुनिक गाँधी) व उनकी टीम एक मजबूत जन लोकपाल बिल के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं ताकि नौकरशाह, न्यायालय, प्रधानमंत्री व मंत्रालय सभी भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम हो सकें तथा इस दायरे में आ सकें। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों के पीछे हटने से यह बिल संसद में पास नहीं हो सका।

हम आशा कह सकते हैं कि अन्ना हजारे व उनकी टीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने के लिए इस बिल को संसद में पास करवाने में सफल होंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक समाज की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी।

सन्दर्भ

1. जेम्स जी. मेग्नन एण्ड रिचर्ड सबातिनी, ग्लोबल थिंक रैंक; पोलिसी नेटवर्क एण्ड गवर्नेंस, 2011
2. टेरेल कारवेर एण्ड जेन बार्टलसन (ई.डी.) ग्लोबलिटी एंड सिविल सोसायटी, 2011
3. डेविड आर्मस्ट्रॉंग एंड डेबोरा स्पीनी (ई.डी.) सिविल सोसायटी एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस, 2011
4. मार्क जेनसन, सिविल सोसायटी इन लिबरल डेमोक्रेसी, 2011
5. डॉन इबरली, इन द नेम ऑफ सिविल सोसायटी, लेनकास्टर, 2008
6. मैथ्यू लिंडले, सिविल सोसायटी एंड ऐड इफेक्वीवनेस—केस बुक, ऐजी—सी एस, 2008
7. ऐश सुलटनत, डज सिविल सोसायटी मेटर? न्यू देहली, 2003